छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा चतुर्थ सत्र अंक-04

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024

(अग्रहायण 29, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05 व 06 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 48 तारांकित एवं 76 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 2024 (क्रमांक 3 सन् 2024),

(2) श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/खाद्य/29-2, दिनांक 01 सितम्बर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम 9 के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024,

(3) श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार गुड्स एंड सर्विसिस टैक्स नेटवर्क (एक सरकारी उद्यम) की वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2021-2022 तथा 2022-2023 **पटल पर रखे।**

3. पृच्छा

डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था संबंधी स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

इस संबंध में सदस्य सर्वश्री उमेश पटेल,

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.08 बजे स्थगित की जाकर 12.15 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

4. पृच्छा (क्रमशः)

सर्वश्री कवासी लखमा, विक्रम मण्डावी, दलेश्वर साहू, द्वारिकाधीश यादव, कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल ने भी विचार व्यक्त किये।

5. स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में 34 सदस्यों से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में से सर्वप्रथम प्राप्त श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना पढ़ी गई।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार सुनने एवं माननीय श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) का वक्तव्य सुनने के पश्चात् सदन में इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये।)

6. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष, श्री भूपेश बघेल, श्री कवासी लखमा, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, दिलीप लहरिया, रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री इंद्रशाह मण्डावी, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, सर्वश्री फूलसिंह राठिया, अटल श्रीवास्तव, राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, बालेश्वर साहू, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, श्रीमती कविता प्राण लहरे, सर्वश्री संदीप साहू, इंद्र साव, जनक ध्रुव, ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बाहर प्रस्थान किया।)

7. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्य सूची में 59 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम तीन ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

(1) श्री धरम लाल कौशिक, सदस्य ने दवा खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

8. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की।

9. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री राजेश मूणत, सदस्य ने प्रदेश में सहकारी गृह निर्माण समितियों में रहने वाले निवासियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के लिए शुल्क की मांग किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री विक्रम मण्डावी) पीठासीन हुए।)

(3) सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, उमेश पटेल, श्रीमती शेषराज हरवंश सदस्य (अनुपस्थित-सूचना प्रस्तुत नहीं।)

माननीय सभापति की घोषणानुसार कार्य सूची के पद 3 के उप पद (4) से (59) तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे। सदस्यों का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा।

उप पद क्रमांक	सदस्य
04.	श्री राजेश मूणत
05.	श्री राजेश मूणत

06. श्री इन्द्रशाह मंडावी

07. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह

08. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री विक्रम मंडावी

09. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, राजेश अग्रवाल, श्रीमती भावना बोहरा

10. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह

11. सर्वश्री अजय चन्द्राकर, राजेश अग्रवाल

12. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह

13. श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह

14. श्री राजेश अग्रवाल

15. सर्वश्री राजेश अग्रवाल, रामकुमार टोप्पो

16. श्री विक्रम मंडावी

17. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े

18. श्री विक्रम मंडावी

19. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

20. श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री बालेश्वर साहू

21. श्रीमती शेषराज हरवंश

22. श्री अनुज शर्मा

23. श्री रोहित साहू

24. श्री द्वारिकाधीश यादव

25. श्रीमती शेषराज हरवंश

26. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

27. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

28. श्रीमती शेषराज हरवंश

29. श्री दलेश्वर साहू

30. श्री दिलीप लहरिया

31. श्री दिलीप लहरिया

32. श्री रामकुमार टोप्पो

33. श्री विक्रम मंडावी

34. डॉ. चरणदास महंत

35. श्री धरमलाल कौशिक

36. श्री द्वारिकाधीश यादव
37. श्री विक्रम मंडावी
38. श्री पुन्नूलाल मोहले
39. श्रीमती चातुरी नंद
40. श्रीमती चातुरी नंद
41. श्री धरमलाल कौशिक
42. श्री ओंकार साहू
43. श्री सुशांत शुक्ला
44. श्री सुशांत शुक्ला
45. श्री अटल श्रीवास्तव
46. श्री अटल श्रीवास्तव
47. श्री ललित चन्द्राकर
48. श्री इन्द्र साव
49. श्री इन्द्र साव
50. श्री बालेश्वर साहू
51. श्री कुंवर सिंह निषाद
52. श्री भूपेश बघेल
53. श्री दिलीप लहरिया
54. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
55. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
56. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
57. श्री बालेश्वर साहू
58. श्री बालेश्वर साहू
59. श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम

10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री अमर अग्रवाल, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का चतुर्थ एवं नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री धरम लाल कौशिक

(2) श्री अनुज शर्मा

(3) श्री ललित चन्द्राकर

(4) श्री लखेश्वर बघेल

(5) सुश्री लता उसेण्डी

(6) श्री ओंकार साहू

(7) श्रीमती अंबिका मरकाम

12. अशासकीय संकल्प

1. सदन का यह मत है कि "विधान सभा क्षेत्र मुंगेली में शक्कर कारखाना प्रारंभ किया जाये।"

श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री सुशांत शुक्ला, धर्मजीत सिंह, धरम लाल कौशिक

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं माननीय सदस्य से आग्रह किया कि अभी तात्कालिक रूप से इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि वहां पर क्षेत्रफल बढ़ता है और वहां पर भू-खण्ड की उपलब्धता सुनिश्चित होती है तो हम निश्चित तौर पर विचार करेंगे तथा माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का अनुरोध किया।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य ने उक्त संकल्प पर शासन द्वारा भविष्य में विचार करने के आश्वासन पर संकल्प वापस लेने की सहमति व्यक्त की।

श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने इस पर सहमति व्यक्त की।

संकल्प वापस हुआ।

2. सदन का यह मत है कि "डेंगू एवं मलेरिया से होने वाली मौतों को प्राकृतिक आपदा क्षति में शामिल कर मुआवजा प्रदान किया जाये।"

(संकल्प प्रस्तुतकर्ता सदस्य श्री अटल श्रीवास्तव की अनुपस्थिति के कारण संकल्प प्रस्तुत नहीं हुआ।)

3. सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ में स्थापित पोहा उद्योग पर मंडी शुल्क 2 रूपये प्रति सैकड़ा के स्थान पर 1 प्रतिशत तथा उक्त उद्योग को कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त किया जाये।"

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने कथन किया कि जो 2 प्रतिशत है, उसे 1 प्रतिशत कर दिया जाये।

श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री ने पूर्ववत मंडी शुल्क 2 रूपये प्रति सैकड़ा के स्थान पर 1 प्रतिशत करने की घोषणा करते हुए इस पर अपनी सहमति व्यक्त की।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

13. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

छत्तीसगढ़ विधानसभा के षष्ठम् विधानसभा के चतुर्थ सत्र का आज अंतिम कार्य दिवस है, यह सत्र 16 दिसम्बर से 20 दिसम्बर, 2024 के मध्य आहूत रहा, कुल पांच दिवसीय सत्र में चार बैठकें सम्पन्न हुईं। सर्वप्रथम सफलतापूर्वक सत्र संपन्न होने के अवसर पर मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, पक्ष प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यगणों को धन्यवाद देता हूं कि आपने सदन के सुव्यवस्थित संचालन में मुझे अपना अधिकतम सहयोग प्रदान किया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थापना का यह रजत जयंती वर्ष है, मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की वर्तमान षष्ठम् विधानसभा अपने अतीत में स्थापित संसदीय मूल्यों को निरंतर मजबूती देने का प्रयास कर रही है और इस कार्य में आप सभी की सहभागिता प्रशंसनीय है। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का संसदीय आचरण और व्यवहार ही लोकतंत्र के इस पावन मंदिर की गरिमा को संवर्धित करने का सशक्त माध्यम सिद्ध होगा। लोक कल्याण के प्रति एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है, उसकी पूर्ति करने हेतु आपका कृत संकल्पित होना इस बात का प्रमाण है कि आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए यह उपलब्धि है कि इस शीतकालीन सत्र में राज्य के विकास से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों पर आप सभी ने व्यापक, विस्तृत और परिणाममूलक चर्चा की है। इसका प्रभाव भविष्य में आवश्यक रूप से छत्तीसगढ़ के विकास में परिलक्षित होगा। आपने इस सत्र में राज्य के विकास से जुड़े प्रत्येक ज्वलंत विषयों पर विचार किया और निष्कर्ष तक पहुंचे। आपके इस प्रयास की मैं प्रशंसा करता हूँ।

मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता और संतोष है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह सदन संसदीय परम्पराओं और प्रक्रियाओं के पालन में उत्तरोत्तर अग्रसर है। पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण अपनी राजनैतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर छत्तीसगढ़ के हित के लिए एक नज़र आए। मैं समझता हूँ कि आपकी यही भावना ही संसदीय लोकतन्त्र का सबसे उज्ज्वल पक्ष है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जब संसदीय लोकतन्त्र अपनी श्रेष्ठता के लिए संघर्ष करते नज़र आ रहा है, ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण के मध्य हमारी विधानसभा का यह उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन निश्चित तौर पर हमें गौरव की अनुभूति देता है। इस सदन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां माननीय सदस्यगणों के मध्य वैचारिक मतभेद, विचारधारा का अन्तर भले ही है पर मनभेद नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप सदस्यगणों की यह विशेषता आपके श्रेष्ठ संसदीय संस्कारों को परिभाषित करती है।

इस सत्र में माननीय श्री सुनील सोनी जी सभा के नए सदस्य के रूप में सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। वहीं दिनांक 17 दिसम्बर को विधान सभा स्थापना की रजत जयंती वर्ष पर छत्तीसगढ़ विधान सभा की संसदीय यात्रा पर केन्द्रित फोटो प्रदर्शनी का शुभारम्भ हुआ। हमारे लिए यही उपलब्धि है कि षष्ठम् विधान सभा के इस चतुर्थ सत्र में प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, स्थगन सहित महत्वपूर्ण विधेयकों का पारण और अनुपूरक बजट जैसे महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित हुए।

अब मैं आपको इस शीतकालीन सत्र में सम्पादित हुए संसदीय कार्यों का संक्षेप में सांख्यिकी आंकड़ों से अवगत कराना चाहूँगा। इस सत्र की कुल 4 बैठकों में लगभग 21 घंटे 05 मिनट चर्चा हुई है। इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की 420 एवं अतारांकित प्रश्नों की 394 इस प्रकार कुल 814 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिसमें से 21 प्रश्नों पर सभा में अनुपूरक प्रश्न

पूछे गये। ध्यानाकर्षण की कुल 288 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 85 सूचनाएं ग्राह्य हुईं और 8 सूचनाएं शून्यकाल सूचना में परिवर्तित की गई। स्थगन की कुल 135 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से 01 सूचना की ग्राह्यता पर चर्चा कराई गई। इस सत्र में माननीय सदस्यगणों द्वारा 182 याचिकायें प्रस्तुत की गईं, जिनमें से 56 याचिकायें ग्राह्य, 65 याचिका अग्राह्य एवं 61 याचिकायें विचाराधीन हैं। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 7 विधेयकों की सूचना प्राप्त हुई और सभी चर्चा उपरान्त पारित हुए। इसके साथ ही अशासकीय संकल्पों की 12 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से कुल ग्राह्य 9 सूचनाओं में से 2 सूचनाओं पर सभा में चर्चा हुई ।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत अनुपूरक अनुमान पर लगभग 5 घंटे 52 मिनट चर्चा हुई। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधान सभा के कार्यकरण से राज्य की आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु आम नागरिकों को अवसर दिया जाता है। इस तारतम्य में विभिन्न शासकीय/अशासकीय संस्थाओं, जनप्रतिनिधि संस्थाओं के लगभग 4600 लोगों एवं छात्र-छात्राओं ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया ।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सभा के संचालन में मुझे सहयोग प्रदान किया। मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता के साथ प्रचार माध्यमों में प्रमुख स्थान दिया ।

इस सत्र के समापन अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस सत्र के दौरान कायम रखी। मैं विधान सभा के सचिव सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया। परम्परा अनुसार सत्र समापन अवसर पर आगामी सत्रों की सम्भावित तिथि घोषित की जाती है तदनुसार आगामी सत्र जो बजट सत्र भी होगा उसकी तिथि फरवरी, 2025 में सम्भावित है। आने वाले अंग्रेजी नववर्ष की आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और इस सदन के माध्यम से नूतन वर्ष पर प्रदेशवासियों के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ।

धन्यवाद

जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़

14. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का गायन किया गया।)

अपराह्न 2:53 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा